Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

Original Article

इस्लाम में महिलाओं की सामाजिक और शैक्षिनिक स्थिति

अरमा मजहर
शोधार्थी, राँची विश्वविद्यालय, राँची
Email: abdurrahman7913@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2025-171127
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 11(A)
Pp. 145-149
November. 2025
Submitted: 18 Oct. 2025
Revised: 28 Oct. 2025
Accepted: 11 Nov. 2025
Published: 30 Nov. 2025

सारांश

महिलाओं के सामाजिक अधिकारों के बारे में बात करते समय : यह पैगम्बर (PBUH) है जिन्होंने महिला को अंधेरे की गहराई से बाहर निकाला और उसे गरिमा और अनुग्रह के ऊंचे पायदान पर खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी को भी पापी घोषित किया है जो अपनी माँ के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहता है।[1]

महिलाओं के अधिकारों और स्थिति का सवाल दुनिया भर में निरंतर रुचि का विषय रहा है। भौतिकवाद के इस युग में भी लोग इस्लाम की ओर अपने मार्गदर्शन की ओर रुख कर रहे हैं। आजादी के नाम पर समाज दिन–ब–दिन नैतिकता की सारी हदें पार कर रहा है। इन सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव ज्यादातर महिलाओं पर पड़ रहा है। जो महिला अपने कमजोर होने के कारण अपने अधिकारों से वंचित थी, उसे आज महिला मुक्ति के नारे के तहत उसके अधिकांश अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, आज की नारी अपनी स्वाभाविक स्थिति और सम्मान को खो चुकी है और एक कुत्सित समाज की वासना का शिकार हो रही है। इस खेदजनक स्थिति का वास्तविक समाधान सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा दिखाया गया मार्गदर्शन और पैगम्बर (PBUH) की शिक्षाएं हैं। इसे समझने के लिए अल्लाह के पैगम्बर (PBUH) को प्रबुद्ध करने से पहले महिलाओं की स्थिति का एक विहंगम दृश्य होना आवश्यक है। उस समय पूर्व इस्लामी अरब या दुनिया में अन्य जगहों की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में महिलाओं को समाज में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं दिया।[2]

यह कुरान से स्पष्ट है, ''और जब उनमें से एक को (एक महिला के जन्म) की सूचना दी जाती है, तो उसका चेहरा काला हो जाता है, और वह दुख को दबा देता है। वह लोगों से छिप जाता है क्योंकि बीमार होने के कारण उसे सूचित किया गया है। क्या उसे अपमान में रखना चाहिए या उसे जमीन में गाड़ देना चाहिए।[3]

उस समय पूर्व इस्लामी अरब या दुनिया में अन्य जगहों की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता ने महिलाओं को समाज में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं दिया। इसके बजाय, उसके जन्मजात पापी स्वभाव, या उसके मन की कमी पर बहस प्रचलित थी। हिन्दू धर्म में महिलाओं के लिए वैदिक शिक्षा बंद रही। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म ने मानवीय भूल के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया। ग्रीक, रोम, ईरान, फारस और चीनी सभ्यता में उसका अस्तित्व ही नीच और शर्म का विषय था। अरब में, आखिरी पैगम्बर के जन्म से पहले, जब जाहिलिया (अज्ञान) अपने चरम पर था, एक महिला बच्चे का जन्म पाप था और पुरुष के लिए शर्म की बात थी।[4] यह कुरान से स्पष्ट है, ''और जब उनमें से एक को (एक महिला के जन्म) की सूचना दी जाती है, तो उसका चेहरा काला हो जाता है, और वह दुख को दबा देता है। वह लोगों से छिप जाता है क्योंकि बीमार होने के कारण उसे सूचित किया गया है। क्या उसे अपमाान में रखना चाहिए या उसे जमीन में गाड़ देना चाहिए।[5]

इन परिस्थितियों में, इस्लाम ने समाज में महिलाओं के कानूनी और व्यवहारिक स्तर में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाया। इस्लाम के पवित्र पैगम्बर के आह्वान में महिलाओं के प्रति मानवीय विचारों की दिशा है। ''हे मनुष्यों, अपने रब से डरो, जिसने तुम्हें एक ही जीव से पैदा किया और उसी से उसका साथी बनाया और उन दोनों में से बहुत से स्त्री–पुरुषों को तितर–बितर कर दिया'' (कुरान 4:1)[6] कुरान की यह आयत महिलाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को निर्धारित करती है कि वह भी एक पुरुष की तरह एक इंसान है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
अरमा मजहर, शोधार्थी, राँची विश्वविद्यालय, राँची

How to cite this article:
मजहर, . अरमा . (2025). इस्लाम में महिलाओं की सामाजिक और शैक्षिनिक स्थिति. Journal of Research and Development, 17(11(A)), 145–149. https://doi.org/10.5281/zenodo.17893151

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.17893151
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

मोटे तौर पर इस्लाम में महिलाओं को सभी पहलूओं में पुरुषों के बराबर मानता है। उनका ईश्वर और समाज के प्रति समान दायित्व है। महिलाएं अपने आप में अलग सत्ता है और पुरुषों को मिलने वाले सभी अधिकार भी उनके हैं। कुरान में कहा गया है, ''वे तुम्हारे वस्त्र और तुम उनके वस्त्र हो।''(कुरान 2:187)[7]

इस्लाम ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सीखने और ज्ञान पर बहुत जोर दिया है और एक दूसरे के सहायक और एक दूसरे के कपड़ों के समान कहा गया है। यह विश्व का एकमात्र धर्म है, जो नारी के कर्त्तव्यों और अधिकारों का वर्णन करता है और नारी को समाज में उसका उचित स्थान देता है। इसने स्त्री को 'पवित्रता और सदाचार' की वस्तु के रुप में वर्णित किया है जबकि अन्य धर्म उसे सभी पापों के प्रवर्तक के रुप में चित्रित करते हैं। कुरान की सुरह बकरा 2:228 में कहा गया है "महिलाओं के लिए भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसे मरदों के अधिकार उन पर हैं"

इस्लाम ने क्षमता, शारीरिक संरचना आदि के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के कर्त्तव्यों से संबंधित मतभेदों की रेखाएं खींची हैं। उन्हें परिवार का स्तंभ घोषित किया गया है। खंभा मजबूत नहीं हुआ तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। यही मुख्य कारण है कि एक मुस्लिम महिला को अजनबियों के साथ बेवजह घुलने–मिलने, हिजाब पहनने का निर्देष देने आदि पर रोक लगा दी गई है।[8]

इस्लाम में महिलाओं की वास्तविक स्थिति को सूरह अहजाब की आयत 35 में समझा जा सकता है, ''निश्चित रुप से मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं, धर्मनिष्ठ पुरुषों और महिलाओं, सच्चे पुरुषों और महिलाओं, धैर्यवान पुरुषों और महिलाओं विनम्र पुरुषों और महिलाओं, परोपकारी पुरुषों और महिलाओ, उपवास करने वाले पुरुषों और महिलाओ, पुरुष और महिलाएं जो अपनी पवित्रता की रक्षा करते हैं, और पुरुषों और महिलाएं जो अक्सर अल्लाह को याद करते हैं– उन सभी के लिए अल्लाह ने क्षमा और एक बड़ा ईनाम तैयार किया है। उपरोक्त आयत स्पष्ट रुप से कहती है कि अल्लाह ने स्त्री और पुरुष दोनों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया है।[9]

महिलाओं के सामाजिक अधिकारों के बारे में बात करते समय यह पैगम्बर (PBUH) है जिन्होंने महिला को अंधेरे की गहराई से बाहर निकाला और उसे गरिमा और अनुग्रह के ऊंचे पायदान पर खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी को भी पापी घोषित किया है जो अपनी मां के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहता है।[10]

उसके सांस्कृतिक अधिकार है

1) जीवनसाथी चुनने का अधिकार– इस्लाम बहुत ही उचित और संतुलित तरीके से अधिकार को लागू करता है, विश्वासियों को किसी लड़की की उसकी सहमति के बिना शाादी नहीं करने का आदेश देता है।

2) अपनी शादी को रद्द करने का अधिकार– अगर किसी लड़की की शादी बहुत ही कम उम्र में कर दी गई है, तो परिपक्वता की उम्र तक पहुंचने पर, उसे इसे बनाए रखने या रद्द करने का अधिकार है।

3) खुला का अधिकार – महिला को अपने पति से अलग होने की मांग करने का अधिकार दिया गया है। यदि वह अपने पति को अधिकार देने में असमर्थ पाती है।

4) अच्छा व्यवहार करने का अधिकार – कुरान कहता है, ''अपनी पत्नियों के साथ अच्छे तरीके से रहो।''[11] और आपस में मेहरबानी न भूलना।''[12]

5) पुनर्विवाह का अधिकार – तलाकशुदा और वे महिलाएं जिनकी शादी कानूनी रुप से रद्द कर दी गई है, उन्हें पुनर्विवाह में प्रवेश करने का अधिकार है।

6) विधवा के अधिकार – कुरान कहता है, ''ऐ ईमान वालों! महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध वारिस करना आपके लिए जायज नहीं है।[13] और अपने बीच के अविवाहितों से ब्याह करो।[14] एक विधवा के लिए सबसे बड़ा पुण्य का कार्य यह है कि उसका पुनर्विवाह किसी सज्जन व्यक्ति से किया जाय।

7) दीवानी और फौजदारी कानून में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता– कुरान कहता है, ''महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार है।''[15]

इस्लाम में उसे आर्थिक अधिकार

1) संपत्ति का अधिकार– वह अपनी संपत्ति का एकमात्र मालिक है।

2) भरण–पोषण– स्त्री कितनी भी धनी क्यों न हो अपने पति के पास रहती है।[16]

3) महर– कुरान में यह भी कहा गया है, ''और महिलाओं को (शादी पर) उनके (दुल्हन) उपहार कृपापूर्वक दें। परन्तु यदि वे उसमें से कुछ भी स्वेच्छा से तुम्हें दे दें, तो उसे संतोष और सहजता से लें।[17]

4) उत्तराधिकार का अधिकार– एक महिला को अपने पिता, पति, बच्चों और अन्य करीबी रिश्तेदारों से संपत्ति विरासत में मिलती है।

5) शिक्षा का अधिकार – सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों के बाद यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। एक महिला को न केवल धार्मिक और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, बल्कि उसकी शिक्षा को एक पुरुष के रुप में आवश्यक माना गया है। एक महिला की शिक्षा केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके बच्चों और परिवार के लिए भी होती है साथ ही वह एक पूरी पीढ़ी का पालन–पोषण करती है। पैगम्बर की पत्नी हजरत आयशा (रजि॰) न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी एक शिक्षक थी।

इस प्रकार अकेले इस्लाम ने एक महिला को उसकी स्वाभाविकता को बनाए रखते हुए समाज में गरिमा और अनुग्रह का दर्जा दिया है और इस तरह नारीत्व की स्थिति को ऊपर उठाया है। इस्लाम ने एक महिला को दिए गए अधिकारों का ज्ञान, महत्व और परिणाम यह निर्णय नहीं हो सकता है कि हम इन अधिकारों की तुलना अन्य समाजों से करते हैं। वास्तव में, पश्चिम

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

एक महिला को वैसा ही मानता है जैसा कि जाहिलिव्याह के दिनों में माना जाता था। इसलिए, विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि पश्चिम ने एक महिला को महिला के रुप में कोई अधिकार नहीं दिया है।[18]

इस्लाम ने शिक्षा और प्रशिक्षण को शुरु से ही महत्त्व दिया। शरीयत–ए– इस्लामी ने मर्दो व औरतों दोनों को समान अधिकार और कर्त्तव्य दिये हैं। दोनों कर्ताव्यों को पूरा करने के लिए एक समान रुप से जिम्मेदार है। यह बात जरुरी है कि दोनो को ही अपना कर्तव्य बखूबी निभाना आना चाहिए, इसलिए जब तक आप अपने धर्म के ज्ञान को प्राप्त नही करते तब तक आप धार्मिक मर्गदर्शन पे नहीं चल सकते। यही वजह है कि इस्लाम में मर्द और औरत को समान रुप से शिक्षा की प्राप्ति का हुक्म है।

इस्लाम कहता है "हर मुसलमान (मर्द और औरत) पर इल्म हासिल करना फर्ज है। दर हकीकत अल्ला के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं।" इस्लाम से पहले की औरतें बिना इल्म के अपने अधिकारों को जानने में असमर्थ थी, ऐसे में पढ़ना और लिखना उनके हक में आता ही नही था। न वो अपने आधिकार के लिए सवाल कर सकती थी ना ही अपने अधिकार को समझ सकती थी इसलिए इस्लाम में औरतों को इल्म के मामले में औरत और मर्द को बराबर का दर्जा दिया है।

इस्लाम में कहा गया है की औरत का फर्ज है इल्म हासिल करना और इसे रोकना जुर्म है।19

इस्लाम ने ज्ञान प्राप्त करने को मर्द और औरत दोनों के लिए समान रुप से जरुरी करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का इरशाद है "हर मुसलमान (मर्द–औरत) पर इल्म हासिल करना फर्ज है"। (तिब्रानी 10/240)
कुरान और हदीस में इल्म (ज्ञान) बेमिसाल गुणों को बताया गया है बल्कि मालुम होता है कि इस्लाम में ज्ञान प्राप्त करने से बढ़कर कुछ भी नहीं है।20 कुरान में इरशाद होता है "दरहकिकत अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते है"। (सुरे फातिहः6) [21]

पैगंबर सल्ल॰ अलै॰ वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसकी शुरुआत भी शब्द इकरा (यानि पढ़ो) से हुआ था (सुरह इकराः1)[22]

"उलेमा नबियों के वारिस हैं, क्योकि नबियों ने विरासत में दिरहम व दिनार नहीं छोड़े बाल्कि इल्म छोड़ा है। सो जिसने इल्म हासिल कर लिया उसने नबियों की विरासत में से बड़ा हिस्सा हासिलकर लिया। (सही तिर्मजीः 2159)[23]
ज्ञान के महत्व मे बारे में बतौर नमूना कुछ आयते और हदीसे पेश की गायी हैं जिनसे ज्ञान की अत्यधिक महत्ता साबित हो रही है।

इस्लाम में महिलों की शिक्षा और प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था।

इस्लाम से पहले अनपढ़ समाजों में औरतें हर प्रकार के अधिकारों से बंचित थी। जहाँ महिलाएं जीवन के अधिकार से वंचित हों, वहाँ पढ़ने लिखने के अधिकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मगर इस्लाम ने जहाँ महिलाओं को उच्च स्थान दिया है उस पर एक एहसान ये भी किया है कि उसे शिक्षा और प्रशिक्षण में मर्दो के वराबर अधिकार दिये हैं। शरीयते इस्लामी ने मर्दो और आरतों दोनो को सम्बोधित किया है धार्मिक आदेशों का पालन दोनों पर वाजिब है। और कयामत के दिन मर्दों की तरह औरतें भी खुदा के सामने जवाबदेह हैं इसलिए औरतों के लिए भी ज्ञान प्राप्त करना जो उनकों मुख्य धार्मिक मामलों की शिक्षा दें और इस्लामी आदेशों के अनुसार जीवन जीने का ढंग सिखाए वो उनके लिए फर्जे ऐन करार दिये गए हैं। फर्जे ऐन का मतलब है की इसे सीखना जरूरी है और अगर औरत या मर्द इसमें कोताही करे तो वो मुजरिम है।[24] इसलिए पैगंबर सल्ल॰ ने शुरू से ही महिलाओं को शिक्षा की तरफ ध्यान दिलाया। आप सल्ल॰ ने सूरह अलबकरा की आयतों के बारे में फरमाया : "तुम खुद भी उनको सीखो और अपनी औरतों को भी सिखाओ (सुनन दारिमी : 3390)[25] जिसने तीन लड़कियो की परवारिश की, उनकी अच्छी तालीम व तर्बीयत की, उनसे अच्छा व्यवहार किया फिर उनका निकाह कर दिया तो उसके लिए जन्नत है" (अबू दाऊ : 5147)[26] रसुलल्लाह सल्लह॰ के तबलीगी मिशन में हफते में 1 दिन सिर्फ महिला की शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए विशेष होता था। हजरत उमर रजियल्लाहू अन्हू बिन खताब ने अपने राज्य के चारो तरफ ये फरमान जारी कर दिया थाः अपनी औरतो को सुरे अलनूर जरुर सिखाओ कि इसमे घरेलू और सामाजिक जीवन के बारे में कई मसले और हुक्म मौजूद है। (अल्दर अलमसूदः5118)[27] इस्लाम में महिलाओं की शिक्षा के बारे में कभी दो राय नहीं हो सकती। एक ही पूर्व और पुख्ता हुक्म है और वो है औरतों को इल्म के आभूषण से सजाने का क्योंकि अनपढ़ और अज्ञायनी महिला समाज के पिछड़ेपन का कररण बनती है। महिला की जहालत (अज्ञानता) के कौन–कौन से नुकसान गिनवाएँ जाएँ, पति, घर, अल्लाह की दी गई नेमतें, किसी भी बात का उन्हें एहसास नही होता, उनकी दुनिया भी बर्वाद और आखिरत (परलोक) भी तबाह हो जाता है।

इसके विपरित दीन का ज्ञान रखने वाली महिलाएँ सही और गलत, जायज और नाजायज की हद को जानती और पहचानती है और वो अपने जीवन में पेश आयने वाले मसलो को अच्छे ढंग से निपटा लेती हैं। इल्मेदीन उनको विनम्र और सुसंस्कृत बनाता है, वो अपने बच्चों की भी सही तर्बियत करके अच्छे समाज के निर्माण का कारण साबित होती है।[28] इस लिहाज से औरत की तालीम ऐसी होनी चाहिए जो उसको नेक बेटी वफादार बहन फरमावरदार बीवी और चारित्रवान और हमदर्द माँ बन सके।

भारतीय मुस्लिम महिलाओ में शिक्षा की स्थिति

पहली शिक्षक "बीबी फातिमा शेख ओर सावित्रि बाई फुले" शिक्षा को हर महिला तक पहुँचाने को जिम्मा जब सावित्रिबाई फुले ने लिया। तब उनका साथ देने बीबी फातिमा आगे बढी और एक अध्यापिका के रुप में सबित्रिबाई फुले के स्कूल में पढ़ाने लगीं। इसके लिए उन्हे तमाम सामाजिक विरोधियों का सामना भी करना पड़ा मगर वह पीछे नहीं हटी। और उसी तरह घर–घर जा के महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरुकता फैलाने की मुहिम चलाने लगी। जब सावित्रिबाई फुले के पिता जी ने उन्हें दलितों और

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

महिलाओ के उथान के लिए किए जा रहे कामों के कारण पूरे परिवार को घर से निकाल दिया। तब बीबी फातिमा के भाई उस्मान शेख ने उनहे अपेन घर में पनाह दी।[29]

आधुनिक शिक्षा के प्रति मुस्लिम महिलाओ का योगदान

मुस्लिम महिलाओ के प्रतिनिधित्व को अक्सर हिजाब पहनने वाले रुढ़िवादियों तक सीमीत कर दिया गया है। हलांकि (एक इतिहास परियोजना सह प्रदर्शनी "पाथब्रेकर्स" भाग (1) अगस्त 2018 दिल्ली और भाग (2) मार्च 2020 बेंगलुरु) के अनुसार 20 वीं सदी की मुस्लिम वुमन ऑफ इंडिया यह बदलने की उम्मीद करती है इसका दूसरा पहलू भी है, हिजाब कभी शिक्षा में रुकावट नहीं बना। ऐसे अनेक खबरे पढ़ते होगें हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़की पायलट बनती हैं बाक्सर बनी और भी ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, कोई भी इंसान जब अपने मकसद को मजबूती से पकड़ा रहेगाा तो कामयाबी उसकी मुकद्दर होगी, हिजाब शिक्षा से कभी महिलाओ को नहीं रोकता ये समझने की जरुरत है। मुस्लिम महिलाओं की एक पहल "पाथब्रेकर्स" "मुस्लिम वुमन ऑफ" 20वीं सदी की मुस्लिम महिलाओं के आख्यानों को बताने की जिम्मेदारी ले रही है, जिन्होने ने बाधावों को तोड़ दिया और एक नए भारत के निर्माण की परियोजना में योगदान दिया । इस में 21 ऐसी महिलाओं का वर्णन है।

1. तैयबा खादिव जंग (1823–1921)
2. अतिया फैजी (1877–1967)
3. शरीफा हामिद अली (1886–1971
4. मासूमा हुसैन अली खान (1901–1990)
5. फातिमा इसमाईल (1903–1987)
6. अनिस किदवई (1906–1982)
7. मुमताज जहाँ हैदर (1907–1981)
8. कुदसीया ऐजाज रसुल (1908–2001)
9. हाजरा बेगम (1910–2003)
10. सालेहा आबिद हुसैन (1903–1988)
11. अतिया हुसैन (1913–1998)
12. साफिया जान निशार अख्तर (1916–1953)
13. हमिदा हबीबुल्लाह (1916–2018)
14. रजिया सज्जाद जाकिर (1917–1979)
15. सुरया तैयब जी (1910–1978)
16. जोहरा अली यावर जंग (1920–2010)
17. सैयदा खुरशीद
18. अजीजा फातिमा इमाम
19. कुदशीया जैदी
20. मुफीदा अहमद
21. सीद्दीका किदवइ

कितने कम लोग जानते हैं की एक औरत थी जिसका नाम फातिमा इसमाईल था जिसने नेहरू से बिनती कर कर के प्राईमलैन्ड लिया और बच्चियों के लिए पोलियो हॉस्पिटल बनवाया कितने कम लोग जानते हैं पहली मुस्लिम औरत जिसने भारत का झण्डा डिजाईन किया कितने कम लोग जानते हैं एक महिला थी जिसका नाम था शरीफा हामिदा अली Consituent Assembly की सदस्य थी

बीबी फातिमा शेख : आधुनिक भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षकों में से एक है। जिन्होनें दलित बच्चों को फुले के स्कूल में शिक्षित करना शुरु किया सावित्रिबाई और फातिमा सगुना बाई के साथ थी जोबाद में शिक्षा आंदोलन में एक और नेता बन गई। फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख, ज्योतिबा और सावित्रिबाई फुले के आंदोलन से प्रेरित होकर भाग लिया उस समयके अभिलेखागार के अनुसार, उस्मान शेख थे, जिसने अपनी बहन फातिमा को समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रोत्साहित किया। पथराव किए जाने और गोबर फेंका जाने लगाा यही नहीं फातिमा को हिन्दुओ के साथ–साथ मुस्लमानों का क्रोध सहना पड़ा। धमकियों के बावजुद वह मुस्लिम घरों में जाती थी और लड़कीयों को शिक्षा का महत्व समझाती थी। वह पहली मुस्लिम महिला थी जिसने 19वीं शताब्दी में अन्य लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करना शुरु किया था और संक्षिप्त प्रोफाइल "बाल भारती" महाराष्ट्र राज्य ब्यूरो के स्कूल के उर्दू पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया था। फातमा शेख पर हम सभी को गर्भ है।

फातिमा शेख पर आज हम सभी को गर्व है।

सुरैया तैयबजी : हमें भारत का इतिहास भी नही भूलना चाहिए, भारतीय ध्वज के लिए अंतिम डिजाइन को लेकर सामनें आने वाली महिला "सरैया तैयबजी" थी और उन्हें वह श्रेय देना चाहिए जिसकी वेहकदार हैं।

डा. सैय्यदा हमीद : मैलाना आजाद विश्वविद्यालय हैदराबाद की कुलाधिपति हैं, जिन्होंने योजना आयोग की सदस्या के रुप में एक लमबा और शानदार करियर बनाया। मुस्लिम महिला मंच की अध्यक्ष, दक्षिण एशिया में शांति के लिए महिलाओं की पहल की संस्थापक। न्यासी (विपसा) सदस्य, द्वीप विकास प्राधिकरण, संस्थापक ट्रस्टी, केन्द्रिय संवाद और सुलह के लिए। और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या। कश्मीर में जन्मी, चेयरपर्सन के रुप में कई मानद पद रखती हैं दिल्ली में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। 15 से अधिक पुस्तकों का लेखन एवं सह लेखन किया हैं, जिसमें ब्यूटीफुल कंट्री : स्टोरिज फ्रॉम अदर इंडिया, उनकी अनुपम कृती है। साथ ही वे पदम श्री सहित कई अन्य पुरुस्कारों और उपाधियों से सम्मानित हैं।

सईदा खुरशीद : 1947 में अपनी शिक्षा एक निजी छात्रा के रुप में पूर्ण की और अपनी परीक्षओं के लिए अलीगढ़ की यात्रा के लिए निकल पड़ी। खुर्शीद जी उत्कृष्ट छात्रा और स्वर्ण पदक विजेता थी । उन्होंने "जाकिर साहब की कहानी उनकी बेटी की जुबनी"। 2000 में मुस्लिम महिला मंच की संस्थापक अध्यख रही और संगठन को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के मुद्दो पर बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रेरित किया।

सच्चर समिति रिर्पोट :–रिर्पोट में कहा गया है की "कई बैठकों में महिलाओ ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हे अध्ययन और काम करने का अवसर दिया जाता और बाधाओं का सामना करने के लिए "प्रबंधन" करना पड़ता था (सच्चर 2006,13) एक रिर्पोट में पाया गया कि मुस्लिम लडकियाँ खुद शिक्षा के लिए एक "मजबूत इच्छा और संकल्प रखती है" (सच्चर 2006, 19–20)

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-11(A)| November- 2025

निष्कर्ष

मानव इतिहास विभिन्न संस्कृतियों, विचार धाराओं और धर्मों का एक करीबी अध्यन हमें इस निष्कर्ष पर लाता है कि इसवर ने अपने अंतिम पैगम्बर मुहम्मद (PBUH) के माध्यम से जो इश्वरीय मार्ग दर्शन प्रकट किया है, वह जिवन का सबसे अच्छा तरीका है। पवित्र पैगम्बर की शिक्षाऐं इश्वरीय ज्ञान की अभिव्यक्ति है और उनका सीरत जीवन का सबसे अच्छा मोडल है। इसलिए इस्लाम समाज में महिलाओं अधिकारों, स्थिति और स्थिति का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा रक्षक है।

संदर्भ

1. हदीस–सहीह मुस्लिम
2. सैयद जलालुद्दीन उमरी ''औरत और इस्लाम'', मर्कजी मकतब इस्लामी, नई दिल्ली, पृ. सं.– 25
3. पवित्र कुरान, 16:58, 59
4. एम.ए . सिद्दिकी– 1982, वुमैन इन इस्लाम, एडम पब्लिकेषन, नई दिल्ली, प. सं.– 101
5. पवित्र कुरान, 16:58–59
6. पवित्र कुरान, 4 : 8
7. पवित्र कुरान, 2:187
8. एम.ए . सिद्दिकी– 1982, वुमैन इन इस्लाम, एडम पब्लिकेषन, नई दिल्ली, पृ. सं.– 76
9. पवित्र कुरान, 33 : 35
10. हदीस सही बुखारी
11. पवित्र कुरान, 4:19
12. पवित्र कुरान, 2:237
13. पवित्र कुरान, 4:19
14. पवित्र कुरान, 24:32
15. पवित्र कुरान, 2:228
16. एम. ए .सिद्दिकी– 1982, वुमैन इन इस्लाम, एडम पब्लिकेषन, नई दिल्ली, पृ.स.– 87
17. पवित्र कुरान, 4 : 4
18. एम. ए . सिद्दिकी– 1982, वुमैन इन इस्लाम, एडम पब्लिकेषन, नई दिल्ली, पृ. स.– 95
19. सैयद जलालुद्दीन उमरी ''औरत और इस्लाम'', मर्कजी मकतब इस्लामी, नई दिल्ली, पृ॰ सं॰– 10
20. तिब्रानी : 10/240
21. कुरान सुरः फातिहा : 7
22. कुरान सुरः इकरा : 1
23. हदीस सही तिर्मिजी
24. सैयद जलालुद्दीन उमरी ''औरत और इस्लाम'', मर्कजी मकतब इस्लामी, नई दिल्ली, प. सं.– 10
25. सुनन दारिमी : 3390
26. हदीस अबू दाऊ
27. अल दूर अलमंसूर
28. शाहिदा लतीफ ''मुस्लिम वुमन इन इंडिया''
29. पाथब्रेकर्स, ''मुस्लिम वुमन इन इंडिया''
30. सच्चर समिति रिपोर्ट–2006,19–20